—

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : मुख्य परीक्षा–2021 / 3477
दिनांक : 18.02.2021

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की सत्र 2020–21 (मुख्य परीक्षा / भूतपूर्व छात्र परीक्षा / एकल विषय / श्रेणी उन्नयन) एवं सत्र 2019–20 (केवल प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) की बैक पेपर परीक्षा–2020 की परीक्षायें शीघ्र प्रारम्भ करायी जानी प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्नातक स्तरीय बी0ए0, बी0काम0 (संस्थागत / व्यक्तिगत), बी0एस–सी0, बी0एस–सी0 फिजिकल एजूकेशन हैल्थ एण्ड स्पोर्ट्स (संस्थागत) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित एम0ए0 / एम0काम0 (व्यक्तिगत) पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ccsuweb.in** पर दिनांक **19.02.2021** से निम्नानुसार ऑन लाईन भरवाया जाना है :–

ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :–

01.	छात्र / छात्राओं हेतु वेबसाईट पर ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की शुरूआत	**19.02.2021** से
02.	छात्र / छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन–लाईन भरने एवं ऑन–लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	**20.03.2021** तक
03.	विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय / संस्थान में छात्र / छात्राओं द्वारा समस्त आवश्यक पत्राजातों सहित भरे गये सन्दर्भित परीक्षा फार्म का ऑन लाईन सत्यापन कराये जाने की अन्तिम तिथि	**22.03.2021** तक
04.	आवंटित महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा एन0आर0 सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	**24.03.2021** तक

महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

1. समस्त अर्ह छात्र / छात्रायें मुख्य परीक्षा / श्रेणी सुधार / एकल विषय / बैक पेपर परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.ccsuniversity.ac.in** पर उपलब्ध समस्त सम्बन्धित नियमों / प्रवेश नियमावली / विषय कोड पुस्तिका का भली–भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें।
2. **समस्त छात्र / छात्रायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) के दिशा–निर्देशानुसार केवल अपनी सही NAD ID ही सन्दर्भित परीक्षा फार्म में भरना सुनिश्चित करें।**
3. **समस्त छात्र / छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) परीक्षा फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।**
4. **प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र / छात्राओं से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।**
5. **व्यक्तिगत रूप से स्नातक उत्तीर्ण छात्र / छात्रायें केवल व्यक्तिगत रूप से एकल विषय स्नातक हेतु पात्र हैं।**
6. **चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अलावा अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से एकल विषय स्नातक हेतु पात्र नहीं है।**
7. **कोई भी अभ्यर्थी नेट / स्लैट / एम0फिल0 / पी–एच0डी0 उपाधि धारण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के भीतर स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिये अर्ह होगा। स्नातकोत्तर (व्यक्तिगत) स्तर पर श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के अन्दर ही अर्ह होगा।**

क्रमशः.........2

8. व्यक्तिगत स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों/एकल विषय/श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) हेतु विश्वविद्यालय वेबसाईट पर आवश्यक नियम उपलब्ध हैं।
9. विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।
10. किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं है अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली-भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक-प्रति कुलपति को, माननीय प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
06. वयैक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. सहा० कुलसचिव/प्रभारी-अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. सहा० कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल) को सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त अनुभाग प्रभारी (पूछताछ केन्द्र/सूचना पट)।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

18/02/19

सहा० कुलसचिव (परीक्षा)